

दिनांक 4.11.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारते हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.12.22
पेश हो।

[Signature]
रीडर

दिनांक 12.12.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारते हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-1-23
पेश हो।

[Signature]
रीडर

231-23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
व उनके वकील को कई बार रुक-रुक कर
आवाज लगाई गई किन्तु कोर्ट भी उपस्थित
नहीं हुआ। इसके इस तरीके से कि
वकील को पत्रावली के प्रति गंभीर नहीं
है। फिर भी पत्रावली को इन्तजार में रखा
गया। इसके पश्चात् न्यायालय समय समाप्त
से पूर्व भी वकील एवं उनके वकील को
आवाज लगाई गयी किन्तु कोर्ट उपस्थित नहीं
आया। अतः वकील का बाद वकील को
अदम हाजरी व अदम पैरवी में शामिल किया
जाना है। पत्रावली फैसल सुनाए होकर नम्बर से
कम है। अफिर सुनाया गया।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दोसा